

## विचार बिन्दु

बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे आगे सोचो, विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। -धीरुभाई अंबानी

## तीन नए कानून - राहत या आफत ?

1

जुलाई 2024 से भारत में न्याय प्रक्रिया से संबंधित तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 25 फरवरी, 2023 को राष्ट्रद्रूत की सहमति प्राप्त हुई थी। ये कानून भारतीय दंड संविधान 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय न्याय अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। नए कानूनों का मुख्य देखरेय यह था कि विशेष काल के ऑपरेशनिंग्स के स्थान पर लाए गए हैं। नए कानूनों का मुख्य देखरेय यह था कि विशेष काल के लिए, अधिक उत्तराधिकार कानून बनाए जाएं। एक जेस्यूर यह भी था कि न्यायालय में चरने वाले प्रक्रियों में अतिरिक्त विलोप को देखते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया जाए ताकि नागरिकों को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय, बिना परेशानी के समय पर मिल सके।

सरकार, नए कानूनों को बहुत प्रतिरोधील एवं नागरिकों के लिए बहुत बहुत करने वाले कई समाजिक व्यक्तिगतीय एवं अधिकारियों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला रहे हैं।

अब हम नए कानूनों को जनता पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि नए कानूनों को उस समय संसद द्वारा प्राप्त किया गया था कि जन लोकसभा के 146 विधायी संसदों को सदन से निर्वाचित कर दिया गया था। इस कारण, इन महत्वपूर्ण कानूनों पर, जिन्होंने विस्तृत बहस संसद में होनी चाहिए थी, वह विलुप्त नहीं हुई। सरकार द्वारा बहुत के बल पर ये कानून बिना द्वायांकित चर्चा के अनुरूपीदार करा दिए गए।

पहले हम मन का द्वारा नहित है कि जनता पर हानी के बावजूद प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे।

नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि किसी घटना की जिरो एक आई और किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना की भी घटित क्यों न हुई हो। 15 दिन के अंदर इसे संबंधित थाना अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी, तो उसे किसी भी थाने द्वारा एक आई और दर्ज करने से मना नहीं किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में यह बोनी व्याधिकारों के लिए बाले घटना करने का प्रावधान किया गया है।

कुछ छोटे अपराधों में, जब उसन पर सामाजिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान का कानून से लिया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रावधिकता के अंदर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारात्मक कदम कहा जा सकता है।

जिन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और जो अंडर द्याल की तरह जेल में बढ़ते हैं, उन्हें संबंधित अपराध के लिए न्यायालय का एक तिहाई दर से रुकूम देने पर उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। उसका प्रभाव यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी, तो उसे किसी भी थाने द्वारा एक आई और दर्ज करने से रिहा किया जाएगा।

कोई गंभीर अपराधों में, जब उसन पर सामाजिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर शरारत के अंदर प्रदान करेगा। यह व्यक्ति को दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारात्मक कदम कहा जा सकता है।

योग्य लिंगिंग को कोई उल्लेख पुरुषों का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए इसके लिए मूल्युन्डं तक का प्रावधान किया गया है। इस कड़े प्रावधान के कारण संभावना है कि आगे वाले समय में भी द्वारा किसी व्यक्ति की राहत दिया जाए।

न्यायिक प्रबलणों में व्याख्यात स्तरों पर निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे पुलिस को चार्चामूर्ति, न्यायालय में मुकदमा पर लाए हुए 30 दिन का अधिकतम समय दिया गया है। बहस सुनने के बाद 15 दिन में फैसला सुनाया जाएगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने के साथ योनि अपराध, बलाकार, गैरप्रेरणा आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नौकरी का आश्वासन देकर या थाने के नाम पर थोड़े में रुक्कार किसी महिला से यौन संबंध करने के अंदरुनी प्रदान करेगा।

‘मोर लिंगिंग’ को कोई उल्लेख पुरुषों का कानून नहीं था, और इसे अलग अपराध मानते हुए इसके लिए मूल्युन्डं तक का प्रावधान किया गया है। इस कड़े प्रावधान के कारण संभावना है कि अपने वाले समय में भी द्वारा किसी व्यक्ति की राहत दिया जाए।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने के साथ योनि अपराध, बलाकार, गैरप्रेरणा आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नौकरी का आश्वासन देकर या थाने के नाम पर थोड़े में रुक्कार किसी महिला से यौन संबंध करने के अंदरुनी प्रदान करेगा।

कोई गंभीर अपराधों में खाली व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा पर लाए हुए हैं। यह किसी छोटे अपराध के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। यह किसी छोटे अपराध के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नौकरी का आश्वासन देकर या थाने के नाम पर थोड़े में रुक्कार किसी महिला से यौन संबंध करने के अंदरुनी प्रदान करेगा।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

वर्तमान में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने के साथ योनि अपराध, बलाकार, गैरप्रेरणा आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नौकरी का आश्वासन देकर या थाने के नाम पर थोड़े में रुक्कार किसी महिला से यौन संबंध करने के अंदरुनी प्रदान करेगा।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।

यह उल्लेख विवरण के अनुसार, जहाँ इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिकवक्ताओं एवं सामाजिक कार्वाक्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से उल्लेख पुरुषों का स्थान पर लाए हुए हैं।